

ईएमवी डेबिट कार्ड अपग्रेड-आवेदन प्रपत्र: खाता/आज्ञापत्र धारक (निवासी खाता)

खाते का विवरण

पहला खाता संख्या:

(यह खाता खरीदारी के लिए व्यापारियों के यहां अथवा अन्य सहयोगी नेटवर्क एटीएम पर उपयोग किया जाएगा)

ग्राहक/आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम:

ग्राहक आईडी:

डेबिट कार्ड अपग्रेड अनुरोध (कृपया आवश्यक विकल्प पर टिक करें)

मैं/हम अपने मौजूदा कार्ड सं. के बदले निम्न कार्ड चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं: _____

ईएमवी प्लेटिनम डेबिट कार्ड (केवल बचत खातों के लिए)

ईएमवी बिज़नेस गोल्ड डेबिट कार्ड (केवल चालू खातों के लिए)

अतिरिक्त खाते लिंक किए जाएँ, यदि कोई हो

दूसरा खाता नंबर:

तीसरा खाता नंबर:

कृपया ध्यान दें

- इस अपग्रेड के साथ जारी किए जाने वाले सभी ईएमवी चिप कार्ड अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड हैं
- जियोफिट खाते के ग्राहकों को केवल ईएमवी वीजा जियोफिट डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।
- डेबिट/एटीएम कार्ड तथा पिन बैंक में उपलब्ध नवीनतम रिकॉर्डों के अनुसार आवेदक/आज्ञापत्र धारक (आज्ञापत्र धारक के लिए) के डाक/संचार के पते पर भेजे जाएंगे।
- अपग्रेड कार्ड पर मानक उत्पाद स्तरीय प्रभारों की सूची (एस ओ सी) से अलग से प्रभार लिया जाता है और ग्राहक प्रभारों का भुगतान करने की सहमति देता है। (कृपया www.yesbank.in पर दरें और प्रभार अनुभाग देखें)।
- आपकी अपनी सुरक्षा के लिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि आपको नया कार्ड प्राप्त होते ही आप अपना मौजूदा कार्ड बंद कर दें। बैंक, अपग्रेड कार्ड जारी किए जाने के 45 से 90 दिनों के बीच मौजूदा कार्ड को बंद कर देगा। ग्राहक सहमति देता है कि पुराना कार्ड बंद होने तक एसओसी के अनुसार लगने वाले प्रभार लागू होते रहेंगे।

नियम और शर्तें

मैं समझता/समझती हूँ/हम समझते हैं कि डेबिट/एटीएम कार्ड की सुविधा उल्लिखित खाता/आज्ञापत्र धारकों को जारी/सक्षम की जाएगी और उनके माध्यम से किया जाने वाला कोई भी लेन-देन स्वचालित रूप से इस बैंक के आपके मौजूदा संबंधित खातों में डेबिट कर दिया जाएगा।

मैं/हम यह भी समझता हूँ/समझते हैं कि खाता/आज्ञापत्र धारक को डेबिट/एटीएम कार्ड से लिंक किए गए/भविष्य में लिंक किए जाने वाले सभी खातों की एक्सेस प्राप्त होगी। मैं/हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, जो येस बैंक लि. (जिसे इसके बाद से "बैंक" कहा जाएगा) का/के ग्राहक हूँ/हैं, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने वेबसाइट www.yesbank.in पर प्रदर्शित उन समस्त नियम व शर्तों के प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है और मैं/हम उनसे बाध्य होने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो बैंक में समय-समय पर मेरे/हमारे वर्तमान और भविष्य के बनाए रखे गए/खोले गए/ बनाए रखे जाने वाले/खोले जाने वाले सभी खातों का प्रबंधन करेंगे, साथ ही मैं/हम ऐसी विभिन्न सेवाओं/सुविधाओं के प्रावधानों से भी सहमत हूँ/हैं जो वर्तमान में प्रदान की जा रही हैं/भविष्य में प्रदान की जा सकती हैं। मैं समझता हूँ/हम समझते हैं कि बैंक अपने स्वविवेक से किसी भी समय और समय-समय पर, मुझे/हमें अग्रिम या बाद में सूचना दिए बिना, इन नियम व शर्तों में जुड़ाव, बदलाव या संशोधन कर सकता है और यह कि मैं/हम एतद्वारा ऐसे सभी बदलावों का पालन करने तथा उनसे बाध्य होने की सहमति देता हूँ/देते हैं जैसे ही वे नियम व शर्तों का भाग बनते हैं, और यह कि ऐसे बदलाव के बाद बैंक में मेरे/हमारे खाते(खातों) में होने वाला कोई भी लेनदेन और/या मेरे/हमारे द्वारा किसी भी सेवा का उपयोग करना ऐसे सभी बदलावों के प्रति मेरी/हमारी स्वीकृति मानी जाएगी और वह उसके समतुल्य होगी।

हस्ताक्षर (आज्ञापत्र धारक) *(केवल लागू होने पर)*

केवल शाखा के उपयोग के लिए
सीक्यूएमएस क्वेरी सं. _____

हस्ताक्षर (पहला खाता धारक)

हस्ताक्षर (दूसरा खाता धारक)

हस्ताक्षर (तीसरा खाता धारक)

नोट - यह आवेदन आज्ञापत्र (केवल आज्ञापत्र धारकों के लिए) के साथ संलग्न किया जाए और बैंक के पास जमा कराया जाए।